Asha

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2020-21

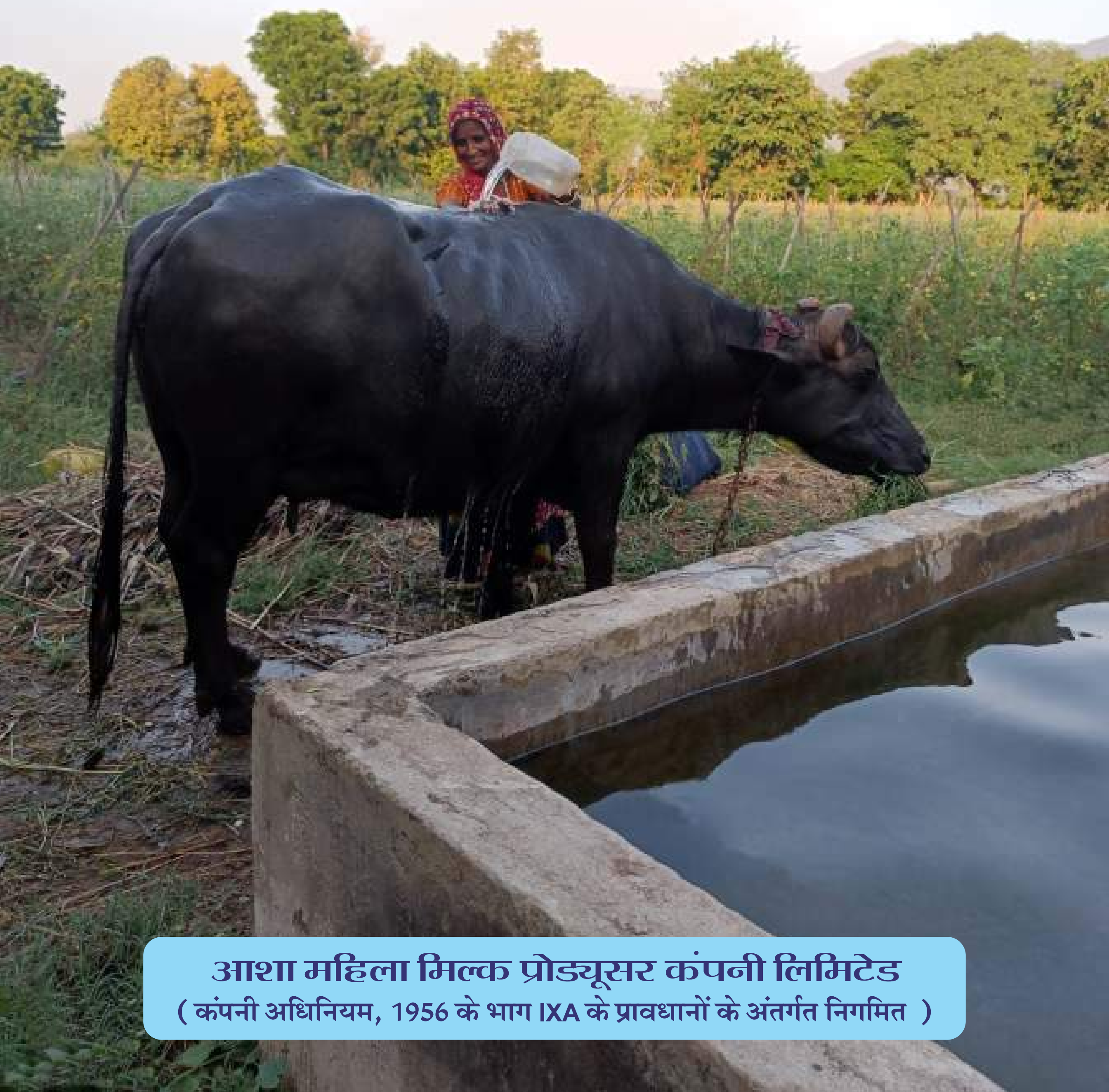

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का प्रदर्शन

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (राशि लाखों में)		
	2021	2020	2019
परिचालन से आय	8,743.07	7,323.23	3,938.94
अन्य आय	19.90	12.46	7.67
कुल आय	8,762.97	7,335.69	3,946.61
माल की लागत सहित व्यय	8,667.66	7,134.62	3,903.24
पूर्व अवधि के समायोजन और कर से पूर्व लाभ	95.30	201.06	43.37
पूर्व की अवधि के समायोजन–आय	0	(3.79)	3.43
कर से पूर्व अवधि का लाभ/(हानि)	95.30	197.27	46.8
कर हेतु प्रावधान	13.20	32.70	8.85
कर के बाद अवधि का लाभ/(हानि)	82.09	164.57	37.95

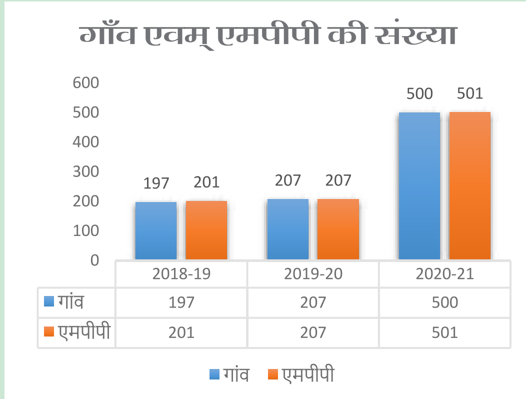

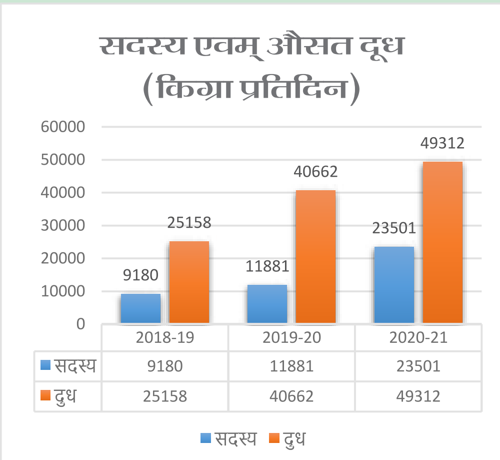

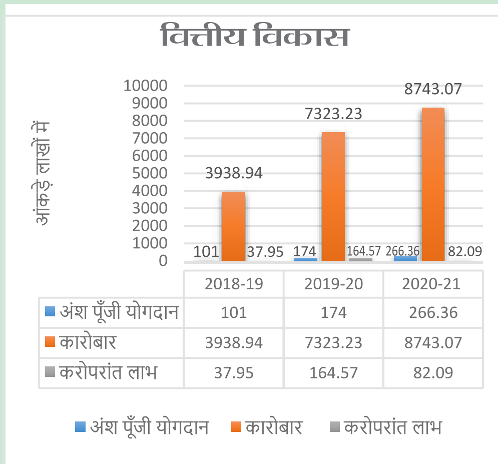

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप

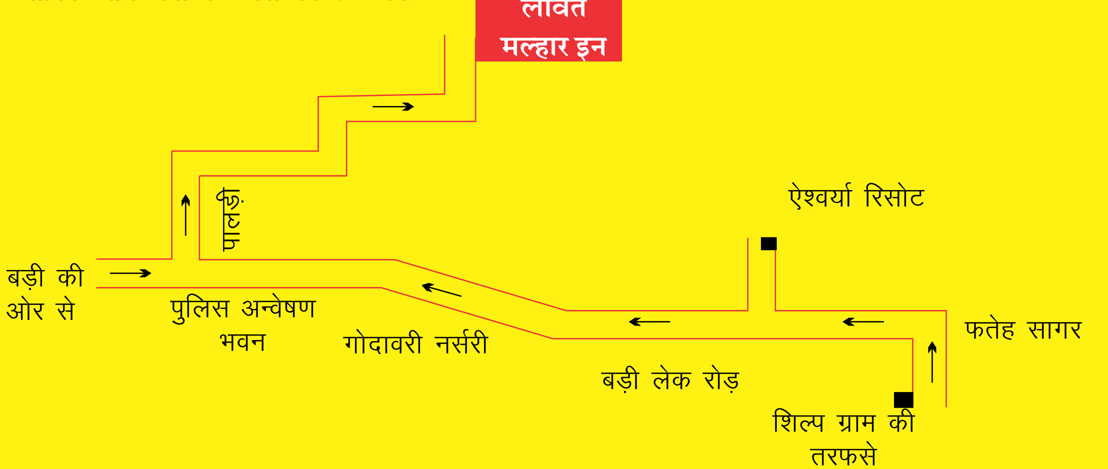

कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन

निदेशक मण्डल

श्रीमति कन्या देवी	.	अध्यक्ष
श्रीमति रेखा देवी	.	निदेशक
श्रीमति पुष्पा कंवर	.	निदेशक
श्रीमति सुखि देवी	.	निदेशक
श्रीमति रेखा कंवर	.	निदेशक
श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चौबीसा	.	अतिरक्त निदेशक
श्रीमति काली देवी	.	अतिरक्त निदेशक
श्रीमति माफी देवी	.	अतिरक्त निदेशक
श्री बलजिंदर सिंह	.	विशेषज्ञ निदेशक
श्रीमति रचना देवधर गोयल	.	विशेषज्ञ निदेशक
श्री धर्मेंद्र कुमार	.	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

कंपनी सचिव

श्री यज्ञ देव शर्मा

प्रबन्धक–वित्त एवं लेखा

श्री मयंक कोठारी

वैधानिक अंकेक्षक

मेसर्स कालानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
जयपुर

आंतरिक अंकेक्षक

मेसर्स रे एंड रे कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
मुंबई

वैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उदयपुर

ऐक्सिस बैंक, उदयपुर

एच.डी.एफ.सी. बैंक, उदयपुर

अनुक्रमणिका

विवरण		प्रष्ठ सं.
1.	निदेशकों का प्रतिवेदन	3
2.	स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	10
3.	वित्तीय विवरण	18

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट

लिंकइन टाइम इण्डिया प्रा. लि.

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच – 2,
सी–1 ब्लॉक, एलएससी सावित्री मार्केट, जनकपुरी,
नई–दिल्ली – 110058

पंजीकृत कार्यालय

हाउस न. 14, वर्मा कॉलोनी, सविना,हिरण मगरी, सैक्टर –9, उदयपुर, 313002
कॉर्पोरेट पहचान संख्या :U01122RJ2016PTC049656
दूरभाष संख्या– 0294–2481466 / ई–मेल info@ashamilk-com वेबसाईट : www.ashamilk.com

नोटः हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाये जाने पर अँग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

अध्यक्षा का सम्बोधन

प्रिय सदस्य बहनों,

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की छठी वार्षिक आम सभा में, मैं कन्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ।

जैसा की आप सभी को विदित है कि हमारी कंपनी का निगमन 21 मार्च 2016 को हुआ था ताकि गाँव स्तर पर ही हमारे घारा का बिक्री योग्य सारा का सारा दूध उचित मूल्य पर पारदर्शिता के साथ बिक जोय और साथ ही साथ दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए पशुओं के लिए प्रजनन, खाद्य / चारा, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी व प्रबंधकीय सेवाएँ गाँव स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने अपना कारोबार उदयपुर, सिरोही एवं जालोर जिलों के 300 गाँवों में बढ़ाया है, जिससे कंपनी का कारोबार का विस्तार कुल 500 गाँवों में हो गय है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल कारोबार 87.43 करोड रूपये का रहा है । कंपनी ने कर भुगतान के बाद 82.09 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया । कंपनी ने आपके द्वरा दुग्ध प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कुल 19.21 लाख रुपए लोयल्टी इन्सेटिव दिया था। कंपनी के निदेशक मण्डल ने समता अंशो पर सीमित लाभांश देने की अनुशंसा की है । सदस्यों से कुल लगभग 180 लाख लीटर दूध का संग्रहण वर्ष भर में किया गया ।

सदस्यों की मांग पर लगभग 1,200 मेट्रिक टन पशु आहार, लगभग 7400 किलोग्राम खनिज मिश्रण एवं 34,000 लीटर कैल्सीयम की बिक्री भी कंपनी द्वारा की गयी है । दुग्ध उत्पादकों में पशु आहार, खनिज मिश्रण और कैल्सीयम की बढ़ती हुई मांग का मुख्य कारण आशा द्वारा चलायी जा रहे आहार संतुलन कार्यक्रम की लोकप्रियता है। मुझे बताते हुए, बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष 15 अगस्त, 2021 को 75वें स्वतत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी को पहली दुग्ध उत्पाद "मरुधरा घी" को लॉन्च किय गाया था और साथ ही कंपनी का प्रतिदिन का दुग्ध संकलन 1 लाख लीटर तक पहुँचया गया है। आपको यह जानकर और भी खुशी होगी कि हमारी कंपनी इस वित्त वर्ष के दौरान अपनी पूंजी एवं बचत से कारोबार को नए 100 गाँवों में बढायेगी।

मैं निदेशक मण्डल एवं कंपनी के सभी सदस्यों की ओर से धानी फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने आर्थिक सहायता प्रदान कर हमे स्वावलंबी बनने का अवसर दिया है । मैं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने हमे अपनी शक्ति का एहसास कराया । उनके द्वारा प्रदान कि गए सतत सहयोग और प्रोत्साहन के लिए कंपनी हमेशा कृतज्ञ रहेगी। कंपनी की इनपुट सेवाओं मे सीएमएफ का काफी सहयोग रहा जिसके लिए कंपनी उनका आभार वक्त करती है।

साथ ही मैं अपने सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ जिनके सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के बिना कंपनी का इतना समग्र विकास संभव नहीं था ।

अपने दीर्घ दृष्टि के अनुरूप, हमे पूर्ण विश्वास है कि 2025 तक हमारी कंपनी राजस्थान राज्य की सर्वेश्रेष्ठ कंपनियों में से एक होगी और इस क्षत्र के महिला दूध उत्पादकों को दूध से बेहतर लाभ देकर एवं अन्य सेवाएँ मुहैया उपलब्ध करा कर उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी ।

शुभकामनाओं सहित

आपकी विश्वसनीय

कन्या

निदेशकों की रिपोर्ट

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ छठा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 21 मार्च 2016 को कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग XIA के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य में सदस्यों के दुग्ध का संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा इससे जुड़ी सभी प्रकार की प्रासंगिक गतिविधियों के लिए किया गया था।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं–

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
परिचालन से आय	8,743.07	7,323.23
अन्य आय	19.90	12.46
कुल आय	8,762.97	7,335.69
माल की लागत सहित व्यय	8,667.66	7,134.62
पूर्व अवधि के समायोजन और कर से पूर्व लाभ	95.30	201.06
पूर्व की अवधि के समायोजन–आय	0	(3.79)
कर से पूर्व अवधि का लाभ/(हानि)	95.30	197.27
कर हेतु प्रावधान	13.20	32.70
कर के बाद अवधि का लाभ/(हानि)	82.09	164.57

कम्पनी के परिचालन का विवरण (State of the Company's Affairs)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 7,323.23 लाख रूपये से बढ़कर 8,743.07 लाख रूपये हो गया, इस प्रकार इसमें 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रूपये 7,134.62 लाख की तुलना में बढकर 8,667.67 लाख रूपये रहे हैं।

कर के बाद लाभ पिछले वर्ष में 164.57 लाख की तुलना में 82.09 लाख रुपये रह गया है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मण्डल ने रूपये 7/–(सात रूपये मात्र) प्रति समता अंश की दर से कुल रूपये 16,62,339/–(सोलह लाख बासठ हजार तीन सौ उनतालीस रुपये मात्र) सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा की है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान केवल उन्हीं सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2021 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की सपठित धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने कर पश्चात लाभों में से रूपये 65,47,579/–(अक्षरे पैंसठ लाख सैंतालीस हजार पांच सौ उनहत्तर रुपये मात्र) की राशि को चिठ्ठे में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव दिया है।

परिचालन की समीक्षा (Review of Operations)

दुग्ध संकलन (Milk Procurement)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की दुग्ध संकलन गतिविधियों का विस्तार नये क्षेत्रों जैसे सिरोही, उदयपुर और जालौर जिलों में हुआ है। कम्पनी ने 31 मार्च 2021 तक 03 एमसीसी (दुग्ध शीतलन केंद्र) और 01 बीएमसी (थोक दुग्ध शीतलक) के तहत राजस्थान राज्य के पाली, सिरोही, उदयपुर और जालौर जिलों के 500 गांवों में 501 दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना कर अपनी गतिविधियों का संचालन जारी रखा है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 180 लाख किलो कच्चे दुग्ध का संकलन किया है।

वित्तीय वर्ष के समापन पर कम्पनी के 23,501 सदस्य थे। इस प्रकार कम्पनी के संदस्यों ने कम्पनी की गतिविधियों में अपना भरोसा जताया है। यह स्वस्थ संकेतक भविष्य में कपनी के विकास की कहानी का शुभारम्भ है जो आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर अधिकाधिक सक्रिय सदस्यों के आपसी सहयोग से और उंचाई पर जायेगा। कम्पनी ने दुग्ध की नियमित आपूर्ति हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों को 19. 21/– लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार अपने सदस्यों से दुग्ध संकलन की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक (परिवहन) नियंत्रण आदि के माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि कर उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

उत्पादकता वृद्धि सेवाऐं (Productivity Enhancement Services)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (Ration Balancing Programme–RBP)

कम्पनी के परिचालन क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादक पुरानी आहार/चारा प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर आहार पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्रीं का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशु स्वास्थ्य मे सुधार के साथ–साथ दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के तहत 1,447 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान सेवाऐं ***(Artificial Insemination (AI) Services)***

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकत्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए उनके घर पर ही गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवायें प्रदान कर रही है, ताकि मवेशियों की प्रजाति में सुधार कर दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढाकर कम्पनी के परिचालन क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद मवेशियों की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 6,774 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 48 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

बाँझपन उपचार शिविर ***(Infertility Treatment Camps)***

चूंकि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने परिचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 176 बाँझपन उपचार शिविरों में 2127 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 1345 मवेशियों को एनेस्ट्रेस (anestrous) से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 1298 मवेश्यिों का उपचार किया गया।

कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट ***(California Mastitis Test –CMT)***

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण, दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुधारू पशुओं के लिए कुल 6357 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 87 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज कर ठीक किया गया।

पशु–आहार ***(Cattle Feed)***

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 1,197 मैट्रिक टन की तुलना में 1,323 मैट्रिक टन पशु आहार का विक्रय किया जोकि 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

खनिज मिश्रण ***(Mineral Mixture)***

कम्पनी ने परिचालन क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुधारू पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 7.4 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया है।

ज्वार का साईलेज (Sorghum Silage)

श्रेष्ठ चारा अभ्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ज्वार के साईलेज प्रदान कर रही है। सदस्य इसमें बहुत रूचि दिखा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 391 बैगों का वितरण किया गया है।

कैल्सियम (Calcium)

कम्पनी ने उत्पादकता संवर्धन सेवाओं के माध्यम से पशुपालन को किसानों के लिए और अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के हेतु चौथी वार्षिक आम सभा में "आशा चिलेटेड डबल स्ट्रेंथ केल्सियम" शुरू किया है। कैल्सियम शरीर में प्रमुख खनिज है जो हड्डियों और दांतों में 98 प्रतिशत उपस्थित रहता है। कैल्सिमय अधिकतम दुग्ध उत्पादन और विकास दर के लिए भी अतिआवश्यक है। कैल्सियम हड्डी का प्रमुख तत्व है और इसलिए महत्वपूर्ण है परन्तु युवा पशुओं के विकास के लिए इसे नजरंदाज कर दिया जाता है। और कैल्सियम उचित मात्रा में नहीं मिलता है तो वृद्धि की दर धीमी हो जाती है। कैल्सियम की कम मात्रा से रिकेट्स, कमजोर ढांचा और हड्डियों के टूटने की भी संभावना रहती है।

गुणवत्ता हेतु पहल (Quality Initiative)

उपयोग किये जा रहे दुग्ध शीतलन केंद्र (एमसीसी) और थोक दुग्ध शीतलक (बीएमसी) कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता को जांचने के लिए पूर्ण रूप से आधारभूत जांच सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। एफएसएसएआई के संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार एमसीसी स्तर पर मिलावट की जांच और एंटीबायोटिक जांच की नई प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कम्पनी के परिचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी सभी जुड़े उन सभी पक्षकारों को साफ–सफाई पर जोर देते हुए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो दुग्ध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध के साफ उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 235 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ग्राम स्तर पर आयोजन किया गया जिसमें 3,969 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्पादक संस्था निर्माण (Producer Institution Building)

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूती प्रदान करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत (MPC's Core Design Principles)

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों को केवल सदस्यों तक ही सीमित रखा गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एव प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मैचिंग शेयर कैपिटल में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कॉन्टैक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया जो सदस्यों और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म–निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यवसायिक परिचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी के आर्थिक स्तर को हांसिल करने के लिए कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Training & Capacity Building Programs)

सदस्यों को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। कम्पनी द्वारा सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार थे –

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	18	250
2.	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	330	6,930
3.	गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	235	3,969
4.	ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	6	158
5.	एमआरजी उन्मुखीकरण कार्यक्रम	12	190
6.	उत्पादकों के लिए डेयरी प्रबंधन कार्यक्रम	25	535
7.	नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम	1	35

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन (Material Changes after Closure of Financial Year)

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धतायें नहीं हैं 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों। नियामक एवं न्यायालय द्वारा ऐसे कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण नियम/कानून पारित नहीं किये गये हैं भविष्य में कम्पनी के परिचालन को प्रभावित करते हो।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in Nature of Business)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अंश पूंजी और सदस्यता (Share Capital and Membership)

कम्पनी की 31 मार्च, 2021 को 100/– रूपये प्रति समता अंश मूल्य के 2,37,477 अंशों की कुल प्रदत्त अंश पूंजी 237.477 लाख रूपये थी जिसमें 21391 सदस्य थे। 31 मार्च, 2021 के बाद, कंपनी ने 4,832

नए सदस्यों को नामांकित किया है और सदस्यता मानदंडों को पूरा न करने के कारण 1661 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस रिपोर्ट की तिथि तक सदस्यों की कुल संख्या 24,562 है और अंश पूंजी 299.71 लाख रुपये है।

<u>वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति (Voting Rights and Attendance at AGM)</u>

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। हर उस सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2020–21 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

<u>निदेशक मण्डल (Board of Directors)</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्रीमति रचना देवधर गोयल को 24 सितंबर, 2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी का विशेषज्ञ निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था।

श्रीमति काली देवी, श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चौबीसा एवं श्रीमति माफी को क्रमशः 09 अप्रेल 2021, 17 अप्रेल 2021 एवं 18 जुलाई 2021 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में श्रीमती रेखा कंवर और श्रीमती सुखी आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत हो जायेगी और अयोग्य होने के कारण उन्होंने अपने आपको पुर्ननियुक्ति के लिये प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त के परिणामस्वरूप उत्पन्न रिक्तियों को श्रीमति लक्ष्मी कुमारी एवं श्रीमति करूणा देवी त्रिवेदी की नियुक्ति से भरा जा सकता है।

<u>निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण (Directors' Responsibility Statement)</u>

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं कि–

क. वार्षिक लेखे तैयार करते समय कम्पनी द्वारा लागू होने वाले लेखा–मानकों का उचित अनुपालन किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू रखा है तथा ऐसे निर्णय और अनुमानों का प्रयोग किया है जो तर्कसंगत और उपयुक्त हैं एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कारोबार की उचित एवं सही स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सके।

ग. कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

ड. सभी लागु होने वाले कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उपयुक्त पद्वति विकसित की है और ये पद्धतियों उपयुक्त एवं प्रभावी रूप से कार्यशील हैं।

अंकेक्षक (Auditors)

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स कलानी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जयपुर, आगामी छठी एजीएम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कार्यालय को स्वीकार करने की अनिच्छा दिखाई है।

अतः निदेशक मण्डल ने मैसर्स केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउण्टेंट, नई दिल्ली को कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की है। जिन्हें आगामी वार्षिक आमसभा में अंशधारकों की मंजूरी के अधीन नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। और इस हेतु उन्होंने अपनी पात्रता और पद स्वीकार करने की इच्छा की पुष्टि की है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा अंकेक्षण (Internal Control System and Audit)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी के आंतरिक अंकेक्षण नियमित तौर पर एक बाह्य कम्पनी मैसर्स रे एण्ड रे चार्टर्ड एकाउन्टेंटस के द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षक कम्पनी की आँतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ–साथ नियमित रूप से कम्पनी का अंकेक्षण करते हैं।

मानव संसाधन (Human Resource)

कर्मचारी कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज (VMV) का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं एवं कार्य–प्रणाली को सुव्यवस्थित व ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य परिचालन की दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी (Energy Conservation, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 सपठित कम्पनीज् नियम (लेखांकन), 2014 के अनुसार विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

अ. कम्पनी नियमों के भाग अ तथा ब ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर वर्तमान में लागू नही होते है।

ब. विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय – शून्य, निकासी – शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें (Board Meetings)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की पाँच (5) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 19.05.2020, 08.09.2020, 28.10.2020, 09.12.2020 एवं 18.03.2020 को आयोजित की गईं।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees & Investments)

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी प्रकार का ऋण, गारंटी या विनियोग नही किया है।

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण (Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties)

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी अनुबंध या व्यवहार परस्पर समान आधारों पर किये गये हैं। अनुबंधों या व्यवहारों का विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट संख्या 30 पर दिया गया है।

वार्षिक रिटर्न का सारांश (Extracts of Annual Return)

कम्पनी की वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाईट www.ashamilk.com पर उपलब्ध है।

केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधडी को छोडकर शेष जो धारा 143 की उपधारा (12) के अनुसार लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधडियों का विवरण (Details in respect of Frauds Reported by Auditors under Sub-Section (12) of Section 143 other than those which are Reportable to the Central Government)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत वैधानिक लेखा–परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधडियों को छोडकर कोई भी धोखाधडी की रिपोर्ट कम्पनी को नही दी गई है।

जोखिम प्रबन्धन नीति (Risk Management Policy)

मेसर्स रे एंड रे, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आंकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और चर्चा की जाती है। हमारी कम्पनी की ऐसी किसी भी जोखिम को चिन्हित करने व समाप्त करने के लिए जोखिम प्रबन्धन नीति बनी हुई है जो कम्पनी के अस्तित्व के लिए चुनौती बन सकती है।

जमा (Deposits)

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से सम्बन्धित विवरण के सम्बन्ध में किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई राशि जमा नहीं हुई।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ विद्यमान हैं।

लागत अंकेक्षण एवं रिकॉर्ड्स (Cost Audit and Records)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी पर लागत अंकेक्षण एवं लागत के रिकॉर्ड्स रखने का प्रावधान लागु नही होता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का प्रकटीकरण (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (Disclosure under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का प्रकटीकरण (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत दिये गये नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कम्पनी ने आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है और कम्पनी सुरक्षित कार्यस्थल नीति को कार्यान्वित किया है। वित्तीय 2020–21 के दौरान कम्पनी को इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

कोर्पोरेट का सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कम्पनी पर कंपनियों के सामाजिक दायित्व के प्रावधानों लागु नही होते हैं।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर कपंनी के विरूद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई भी आवेदन या प्रक्रिया विचाराधीन नही है।

सतर्कता प्रणाली (Vigil Mechanism)

कम्पनी पर सतर्कता प्रणाली के सिद्धांत लागु नही होते हैं।

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा किये गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा प्रदान किये गए सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, कम्पनी से सम्बन्धित लोगों के सहयोग, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहना करता है, जिनके प्रयासों के बिना कम्पनी की सर्वांगीण विकास एवं प्रगति सम्भव नहीं हो सकती।

वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कन्या
अध्यक्षा एवं निदेशक
डीआईएन: 08480274

दिनांक – 1 अक्टूबर 2021
स्थानः– उदयपुर

Asha

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,

राय

हमने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है। (जिन्हें यहाँ वित्तीय विवरण के रूप में सम्बोधित किया गया है।)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते है जैसे कि नीचे ''राय के लिए आधार'' पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है 31 मार्च 2021 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते है।

राय के आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के (SAs) अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

मामले का प्रभाव

हम निम्न मामले में वित्तीय विवरणों पर नोट्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करना चाहते हैः

नोट संख्या 9 (i) जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राशि रू. 83,37,517/- के कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80पीए के अनुसार कटोती के लाभ को देखते हुए किया गया है, कि संचालित व्यावसायिक गतिविधियां विशेषज्ञ अभिमत के आधार पर ऐसी कटौती "योग्य व्यवासाय" की श्रेणी में आती है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य मामले –

कोविड –19 महामारी के प्रकोप के लिए आवश्यक संशोधित ऑडिट प्रक्रियाएँ

कोविड –19 महामारी के प्रसार और सरकार/स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन/यात्रा प्रतिबंधों के कारण, कंपनी के कार्यालयों/बीएमसी/एमपीपी में जाकर ऑडिट नहीं किया जा सका। तदनुसार, कोविड –19 के कारण इस असाधारण स्थिति ने हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता की है ताकि डिजिटल दस्तावेजों की ऑनलाइन पहुंच/प्राप्ति के माध्यम से दूर से ही ऑडिट किया जा सके।

इस प्रकार हमने अपनी अंकेक्षण प्रक्रिया में निम्न प्रकार बदलाव कियेः

क. कंपनी ने हमें आवश्यक लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, दस्तावेजों की स्केन्ड कॉपियां आदि डिजीटल माध्यमों जैसे ई–मेल, टेली ईआरपी–9 लेखांकन सॉफ्टवेयर तक पहुंच आदि प्रदान/साझा की। इस सीमा तक अंकेक्षण हेतु डिजीटल माध्यमों से प्रदान किये गये उपलब्ध लेखा पुस्तकों, रिकॉर्ड, दस्तावेजों की स्केन्ड कॉपियों के आधार पर चालू अवधि के बारे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई।

ख. हमने पूछताछ की एवं हमारे अंकेक्षण अवलोकन पर प्रस्तावों सहित आवश्यक अंकेक्षण साक्ष्य डिजीटल माध्यम से एकत्रित किये तथा संबंधित अधिकारियों से आमने–सामने के बजाय फोन, ई–मेल और इसी प्रकार के अन्य संचार माध्यमों के जरिये संवाद एवं चर्चा की।

ग. हमने अपनी अंकेक्षण प्रक्रिया भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा कोविड–19 के कारण प्रभावित अंकेक्षण अवधारणाओं के बारे में जारी सलाह एवं महत्वपूर्ण विचारों पर निर्भर रहते हुए पूरी की है।

इस मामले में हमारी राय भिन्न नहीं है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट –

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट और अनुलग्नक तथा अन्य कम्पनी संबंधित सूचनाऐं सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नही है। ऊपर पहचान की गई अन्य सूचनाऐं इस ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नही करते है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही भी की जावे।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन और उन पर शासन सम्बन्धित उत्तरदायित्व –

कम्पनी का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के एवज में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है। जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के अनुसार एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006, (संशोधित) के साथ पढ़ा जाता है। इस जिम्मेदारी में कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। इसमें कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं का पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेख, अभिलेखों के रख–रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी

रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नही ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नही हों।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व –

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारें में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते है। हम भी –

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखाकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

भौतिकता वितीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते है, (1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन मे मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है। (2) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते है।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट –

1. जैसा कि अधिनियम'' की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (आदेश) 2016 द्वारा अपेक्षित है। हम अनुलग्नक ए'' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

2. जैसा कि ''अधिनियम'' की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक हो और हमारे अंकेक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

   क. हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

   ख. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

   ग. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   घ. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है। जिसे कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि संशोधित किया गया है।

   ङ. 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च, 2021 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक ''अधिनियम'' की धारा 164(2) अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।

   च. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट **''अनुलग्नक ब''** को देखें।

   छ. अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतू अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नही होती है।

   ज. कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार –

      1. कम्पनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
      2. कम्पनी के पास गौण अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके कारण निकट भविष्य में किसी गंभीर क्षति की आशंका थी।
      3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

3. जैसा कि ''अधिनियम'' के अध्याय XXI A की धारा 378ZG (कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX A की धारा 581ZG 10.02.2021 तक लागू) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

क. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि नोट नंबर 14 में वित्तीय विवरणों के रूप में बताई जाती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक, किसी भी ऋण को रिकवरी के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है ।

ख. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई खातों की पुस्तकों के अनुसार, न तो कम्पनी के पास वर्ष के अंत में नकदी थी और न ही कम्पनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश रखती है ।

ग. 31 मार्च, 2021 को सम्पत्तियों और दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।

घ. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने ऐसा कोई लेन–देन निष्पादित नहीं किया है जो अधिनियम के अध्याय XXIA (कम्पनी अधिनियम 1956 के पूर्व भाग IXA, 10.02.2021 तक लागू) के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने इस अवधि के दौरान कोई दान या सदस्यता (सब्सक्रिप्शन) नहीं दी है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
दिनांक – 01 सितम्बर 2021
UDIN: 21416293AAAADL7848

Asha

स्वतन्त्र अंकेक्षण के प्रतिवदेन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – ''अ''

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ – 1 के तहत संदर्भित।

i. कम्पनी की अचल सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सम्बन्ध में –

क. कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

ख. जैसा कि हमें समझाया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध आवधिक तरीके से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित है, जो कम्पनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के संबंध में है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

ग. हमारे सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अचल सम्पत्ति कम्पनी द्वारा आयोजित नहीं की जाती है।

ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के प्रबंधन ने नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

iii. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टी को कोई असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है। इसलिए, उक्त भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. कम्पनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है और ना ही गारंटी प्रदान की है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्धारित नहीं किया है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii.

क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि सहित निर्विवाद सांविधिक देयों के संबंध में खातों की पुस्तकों में काटी गई/अर्जित राशि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय (लागू के रूप में) आम तौर पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ जमा किया गया है और 31 मार्च 2021 को उनके द्वारा भुगतान की गई तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया नहीं है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर या विवाद के तहत मूल्य वर्धित कर का कोई अवैतनिक बकाया नहीं है।

viii. हमें दिए गए खातों की पुस्तकों और सूचना और स्पष्टीकरण की जांच के आधार पर, कम्पनी ने बैंकों को ऋण या उधार चुकाने में चूक नहीं की है। कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ix. कम्पनी ने टर्म लोन के माध्यम से ऋण साधन या धन सहित आरंभिक सार्वजनिक संकल्प के माध्यम से धन नहीं जुटाया है, इसलिए ऑर्डर के भाग IX के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी द्वारा कोई सामग्री धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी पर किसी भी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi. नए अधिनियम की अनुसूची पाँच के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, चूंकि कम्पनी एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xii. कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए आदेश के इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षा के आधार पर, कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ जहां भी लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का पालन किया है। संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के विवरण को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में बताया गया है।

xiv. वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का प्रिफरेन्शियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी नहीं किया है और इसीलिए आदेश के खंड XIV के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है

xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने निर्देशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर – नकद लेनदेन नहीं किया है और इसीलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 451A के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
दिनांक – 01 सितम्बर 2021
UDIN: 21416293AAAADL7848

Asha

स्वतन्त्र अंकेक्षण के प्रतिवदेन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – "ब"

हमारी तिथि को आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ – 2(f) में निर्दिष्ट।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (1) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट–

हमने 31 मार्च, 2021 को आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व –

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्बक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय –

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2021 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान (ICAI) द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
दिनांक – 01 सितम्बर 2021
UDIN: 21416293AAAADL7848

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

चिट्ठा (राशि रूपयों में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
I.	**समता एवं दायित्व**			
1	**अंशधारकों का कोष**			
	(अ) अंश पूंजी	1	23,747,700	13,005,400
	(ब) संचित एवं अधिशेष	2	27,738,901	20,439,362
2	**आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि**		2,574,700	4,423,666
3	**आस्थगित अनुदान**	3	57,974,284	27,411,491
4	**गैर–चालू दायित्व**			
	(अ) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	4	12,132,869	51,60,154
	(ब) दीर्घकालीन प्रावधान	5	1,475,261	1,086,151
5	**चालू दायित्व**			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	6	227,533,971	107,484,555
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	7		
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		–	–
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		39,592,484	28,834,722
	(स) अन्य चालू दायित्व	8	17,130,130	8,314,754
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	9	45,891	3,140,970
	योग		**409,946,191**	**219,301,226**
II.	**संपत्तियाँ**			
1	**गैर–चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) संपत्ति, प्लांट और उपकरण	10		
	(i) मूर्त संपत्तियाँ		58,311,533	26,834,532
	(ii) अमूर्त संपत्तियाँ		713,292	27,547
	(iii) प्रगति अधीन पूंजी		275,000	1,813,480
	(iv) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		131,075	–
	(ब) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	11	595,744	347,856
	(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12	1,960,572	49,799
2	**चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) स्टॉक	13	9,831,301	5,748,561
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	14	276,117,707	139,898,120
	(स) रोकड एवं रोकड तूल्य	15	58,791,511	44,058,800
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	16	1,668,404	–
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	17	1,550,053	522,531
	योग		**409,946,191**	**219,301,226**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों के नोट्स	अ–स		

वास्त् निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्त् कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी

(कन्या)
अध्यक्ष
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(रेखा)
निदेशक
DIN: 07462877

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(यज्ञ देव शर्मा)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मयंक कोठारी)
प्रबंधक एफ एंड ए
पैन : CIMPK9030J

स्थान – उदयपुर
दिनांक – 26 अगस्त, 2021

स्थान – जयपुर
दिनांक –01 सितंबर, 2021

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

लाभ–हानि विवरण **(राशि रूपयों में)**

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालन से राजस्व	18	874,307,539	732,323,009
II.	अन्य राजस्व	19	1,990,099	1,246,033
III.	**कुल राजस्व**		**876,297,638**	**733,569,042**
IV.	**व्ययः**			
	व्यवसाय में लगे स्टॉक की खरीद	20	747,998,045	635,838,030
	परिचालन व्यय	21	47,511,045	36,900,447
	व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	22	(4,082,740)	(3,502,059)
	कर्मचारियों के लाभों से संबंधित व्यय	23	13,692,231	10,855,097
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	340,128	179,727
	वित्तीय लागतें	24	9,540,707	605,247
	अन्य व्यय	25	51,767,423	32,585,859
	कुल व्यय		**866,766,839**	**713,462,348**
V.	**गत अवधि की मदों एवं कर पूर्व लाभ**		9,530,799	20,106,694
	गत अवधि की मदें	26		(379,089)
	कर पूर्व लाभ		**9,530,799**	**19,727,605**
VI.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर		1,486,805	3,461,000
	2) गत वर्ष का कर		81,965	2,789
	(3) आस्थगित कर व्यय/(आय)		(247,888)	(193,133)
	शुद्ध कर व्यय अवधि		1,320,881	3,270,656
VII.	**अवधि का लाभ/(हानि)**		**8,209,918**	**16,456,949**
VIII.	**प्रति समता अंश आय**	27		
	समता अंश 100 रूपये प्रति अंश			
	(1) मूल		46.33	159.26
	(2) डायल्यूटेड		46.02	149.61
	प्रति अंश आय की गणना में प्रयोग किये गये अंशों की संख्या			
	(1) मूल		177,187	103,335
	(2) डायल्यूटेड		178,384	109,998
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों के नोट्स	अ–स		

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी

(कन्या)
अध्यक्ष
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(रेखा)
निदेशक
DIN: 07462877

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(यज्ञ देव शर्मा)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मयंक कोठारी)
प्रबंधक एफ एंड ए
पैन : CIMPK9030J

स्थान – उदयपुर
दिनांक – 26 अगस्त, 2021

स्थान – जयपुर
दिनांक –01 सितंबर, 2021

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

उदयपुर

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

रोकड़ प्रवाह विवरण (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	विवरण	राशि	विवरण	राशि
अ) प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लाभ–हानि विवरण के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ		**9,530,799**		**19,727,605**
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	340,128		179,727	
वित्त लागत	9,540,707		605,247	
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	400,496		593,064	
प्राप्त ब्याज	(1,484,786)		(971,502)	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक लाभ	**8,796,545**		**406,536**	
समायोजन के लिए:				
अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	6,972,715		490,000	
व्यावसायिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)	10,757,762		10,384,250	
अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	8,815,376		35,593	
यावसायिक प्राप्यों में वृद्धि/(कमी)	(136,219,587)		(116,292,990)	
स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	(4,082,740)		(3,502,059)	
अन्य चालू संपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(1,027,522)		(257,601)	
ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(1,910,773)		(11,000)	
(प्रयुक्त) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह	(107,898,223)		(108,747,272)	
शुद्ध आय कर भुगतान/(रिफंड)	6,343,639		626,315	
प्रयुक्त/परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)		**(114,241,862)**		**(109,373,587)**
ब) विनियोगात्मक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि), रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य नहीं माना गया	(14,899,810)		(657,629)	
पीपीई की खरीद (शुद्ध प्राप्त अनुदान)	(532,677)		(1,443,795)	
ब्याज की आय	1,484,786		971,502	
विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ब)		**(13,947,701)**		**(1,129,921)**
स) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अल्पकालीन ऋण	120,049,416		107,484,555	
अंश आवेदन राशि से प्राप्तियां	6,318,634		2,666,200	
अंश आवेदन राशि बकाया आवंटन	2,574,700		4,423,666	
प्रदत्त लाभांश (डीडीटी सहित)	(910,378)		(746,257)	
वित्तीय लागत	(9,540,707)		(605,247)	
प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)		**118,491,665**		**113,222,917**
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी		(167,100)		22,447,014
रोकड एवं रोकड तुल्य का आरम्भिक शेष		25,131,250		2,684,236
रोकड एवं रोकड तुल्य का अंतिम शेष		**24,964,151**		**25,131,250**

रोकड प्रवाह विवरण के नोट्स

1. रोकड प्रवाह विवरण "रोकड प्रवाह विवरण" पर लेखा मानक –3 के पैरा 18 के तहत निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाते हुए तैयार किया गया है।
2. रोकड एवं रोकड तुल्य में सम्मिलित है।

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अ) हस्तगत रोकड	–	–
ब) बैंक शेष		
–चालू खाते	18,848,563	23,986,479
–बचत खाता	6,115,587	144,771
–जमा खाते	–	1,000,000
योग	**24,964,151**	**25,131,250**

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी

(कन्या)
अध्यक्ष
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(रेखा)
निदेशक
DIN: 07462877

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(यज्ञ देव शर्मा)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मयंक कोठारी)
प्रबंधक एफ एंड ए
पैन : CIMPK9030J

स्थान – उदयपुर
दिनांक – 26 अगस्त, 2021

स्थान – जयपुर
दिनांक –01 सितंबर, 2021

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U01122RJ2016PTC049656

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों के नोट्स

अ. कारपोरेट से सम्बन्धित सूचनाएं

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 21 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के तहत एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049656) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दुग्ध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दुग्ध के उत्पादन को बढानें हेतु प्रजनन, पशु–आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुडी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और प्रबन्धकीय सेवायें प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी राजस्थान राज्य के पाली, उदयपुर और सिरोही जिले के गाँवों में दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से सदस्याओं से सीधे दूध खरीद कर डेयरियों को बेचती है। कम्पनी पशु–आहार का भी व्यवसाय करती है।

ब. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैः

1. लेखांकन का आधारः

कम्पनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं ताकि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जा सके और उत्पादक कंपनियों (11 फरवरी 2021 से प्रभावी) अधिनियम के अध्याय XXIA में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया जा सके। अधिनियम की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान एक उत्पादक कम्पनी पर इस तरह से लागू किए गए थे जैसे कि उत्पादक कंपनियों के लिए विशेष अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है। उक्त प्रावधानों को कम्पनी संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा अधिनियम के अध्याय XXIA के सम्मिलन के बाद 11.02.2021 से प्रभावी कर दिया गया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों का सदैव पालन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों का सदैव पालन किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग :

भारतीय जीएएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयोग किये विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते है और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

3. स्टॉक का मूल्यांकनः

स्टॉक का मूल्यांकन अप्रचलित एवं अन्य क्षतियों (जहां भी आवश्यक लगे) को छोडकर न्यूनतम एवं शुद्ध वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत का निर्धारण पहले आये–पहले जाये (FIFO Method) पद्धति के आधार पर किया जाता है। लागत में स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान एवं दशा में लाने के लिए होने वाले सभी खर्चों को शामिल कर किया जाता है। छोटे उपकरण, रसायन तथा उपभोग्य सामग्री को खरीदने पर उन्हें उपभोग के अंतर्गत माना जाता है।

4. रोकड प्रवाह विवरणः

रोकड प्रवाह विवरण, लेखा मानक (AS-3) में रोकड प्रवाह के बारे में उल्लेखित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है जिससे विशेष मदों से पूर्व लाभ/(हानि) एवं कर का समायोजन गैर–नकदी लेनदेनों तथा कोई भी गत अथवा भावी आस्थगित या उपार्जन रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के प्रभावों के लिए किया जाता है।

कम्पनी के व्यवसाय, विनियोग और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह का बंटवारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है।

रोकड प्रवाह के प्रयोजन से रोकड में हस्तगत रोकड तथा बैंक में मांग जमायें सम्मिलित है। रोकड तुल्य अल्पकालीन शेष (प्राप्ति की तिथि से 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल विनियोग जिन्हें कभी भी नकदी में परिवर्तित किया जा सकता हैं और जिनके मूल्यों में परिवर्तन की संभावना नगण्य है।

5. आय की पहचानः

उस बिक्री को मान्यता दी जाती है जो रिटर्न का शुद्ध और व्यापार की छूट, महत्वपूर्ण जोखिम का हस्तान्तरण और खरीददारो ंको स्वामित्व का हस्तान्तरण, आमतौर पर ग्राहको ंको माल की आपूर्तिक के दौरान मेल खाता है।

6. अन्य आयः

जमाओं पर ब्याज की आय और सदस्यों से प्रवेश शुल्क को उपार्जित आधार पर चिन्हित किया गया है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) का लेखांकन

अ) मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने है), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

ब) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्यः

ऐसी संपत्तियों जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें प्रत्यक्ष लागत और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय और लागू होने वाला ब्याज शामिल है।

स) मूल्य ह्रास एवं परिशोधनः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अनुसार संपत्ति की प्रकृति, प्रबन्धकों द्वारा अनुमानित सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल, सम्पत्ति की चालू स्थिति, प्रतिस्थापन का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी आश्वासन एवं रखरखाव सहयोग आदि के आधार पर किया जाता है।

मूल्य–ह्रास लगाने के लिए उपयोगी जीवन निम्न प्रकार है:–

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षो में)
प्लांट एवं मशीनरी	10
एल एन कंटेनर	5
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
ऑफिस उपकरण	10
कम्प्यूटर्स एवं प्रिंटर्स	3
अमूर्त संपत्तियां	3
मूल्य ह्रास का आंकलन खरीद की तिथी से आनुपातिक आधार पर किया गया है।	

8. अनुदान का लेखांकनः

सरकारी अनुदान एवं रियायत को तब मान्यता दी जाती है जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ जुडी हुई शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य–ह्रास संबधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चो की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता हैं।

9. कर्मचारी लाभः (लेखा मानक–15)

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

अ. निर्धारित अंशदान योजनायें:

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खातों में दर्शाया जाता है।

ब. निर्धारित लाभ योजनायें:

गेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ – हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

स. अल्प–कालीन कर्मचारी लाभः

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

द. दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभः

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

10. लीज़ का लेखांकन –

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

11. प्रति शेयर आय –

प्रति शेयर मूल और डिल्यूटिव आय की गणना लेखांकन मानक (एएस) –20 – प्रति शेयर आय के अनुसार की जाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डिल्यूटिव आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों और कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है, सिवाय इसके कि परिणाम एंटी–डिल्यूटिव हैं।

12. आय पर करों का लेखांकन –

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर–शोषित–मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुऐ भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

13. परिसंपत्तियों की क्षति –

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने बाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा। संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां –

प्रावधान की पहचान उन देयताओं के लिए की जाती है, जिन्हें केवल अनुमान की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है –

क) पूर्वकालिक घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है।

ख) संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बर्हिगमन होगा।

ग) दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।

घ) किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति की मान्यता तभी दी जाती है जब यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

आकस्मिक देयता तभी दर्शाई जाती है जब–

क) एक वर्तमान दायित्व एक अतीत की घटना से उत्पन्न हो रहा है, जब यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक हो जाए।

ख) एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूरस्थ न हो, आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही दर्शाई जाती हैं।

15. संचालन चक्र –

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

16. सामान्य –

लेखांकन नीतियाँ आम तौर पर स्वीकार की गई हैं लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और लगातार लागू की गई हैं।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

स. वित्तीय विवरणों के नोट्सः

अंशधारकों का कोषः

नोट संख्या 1: अंश पूंजी (राशि रूपयों मे)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अधिकृत अंश पूंजी		
प्रति अंश 100 रूपये के 8,00,000 (गत वर्ष 3,00,000) समता अंश	80,000,000	30,000,000
निर्गमित, सब्सक्राईब एवं चुकता अंश पूंजी		
पूर्ण प्रदत्त 100 रूपये मूल्य के 2,37,477 (पिछले साल 1,30,054) समता अंश	23,747,700	13,005,400
योग	**23,747,700**	**13,005,400**

नोट्सः

(i) अंशों से संबंधित अधिकार, प्राथमिकतायें एवं प्रतिबंध

कम्पनी के पास 100 रूपये अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के अंश हैं। कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर एक वोट देने का अधिकार है। सदस्य कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार सीमित आय (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कम्पनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) बकाया समता अंशों की संख्या का मिलानः

विवरण	समता अंशों की संख्या	
	2020—21	**2019—20**
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	130,054	77,377
(+) वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समायोजन के बाद)	107,423	52,677
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**237,477**	**130,054**

(iii) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में पंजीकृत है और कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास 5% से अधिक अंश पूंजी नही है।

नोट संख्या 2 : संचित एवं अधिशेष (राशि रूपयों मे)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अ) सामान्य संचय		
प्रारम्भिक शेष	19,528,984	3,982,412
जोड़ें: वर्ष के दौरान अधिशेष से हस्तांतरण *	6,547,579	15,546,572
अंतिम शेष	**26,076,562**	**19,528,984**
ब) अधिशेष		
प्रारम्भिक शेष	910,378	746,257
(+)कर के बाद लाभ हानि विवरण से हस्तांतरिक शुद्ध लाभ	8,209,918	16,456,949
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	9,120,296	17,203,207
(-) 31 मार्च 20 को सदस्यों को अंतिम सीमित लाभ (लाभांश) (7 रूपये प्रति अंश)	910,378	—
(-)31 मार्च 19 को सदस्यों को अंतिम सीमित लाभ (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	—	619,016
(-)उपरोक्त सीमित लाभ पर कर (लाभांश वितरण कर)	—	127,241
(-)सामान्य संचय में हस्तांतरित*	6,547,579	15,546,572
अंतिम शेष	**1,662,339**	**910,378**
योग	**27,738,901**	**20,439,362**

* कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.10 में वर्णित प्रावधानों सपठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZI के अनुसार निदेशक मंडल ने रूपये 6,547,579/– को सामान्य संचय में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।

निदेशकों ने अपनी दिनांक 26.08.2021 की बैठक में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष को सीमित लाभ (लाभांश) के संदर्भ में पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर 16,62,339/– रूपये (7/– रूपये प्रति अंश) की राशि के भुगतान का प्रस्ताव रखा है। लाभांश अंशधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में अनुमोदन करने पर निर्भर करेगा और इसे लेखा मानक–4 के अनुसार ''आकस्मिकताओं और चट्ठे की तारीख के बाद घटने वाली घटनाओं'' 31.03.2021 को वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। प्रस्तावित लाभांश केवल पूर्ण प्रदत्त समता अंशधारकों को ही देय है।

नोट संख्या 3 : आस्थगित अनुदान **(राशि रूपयों मे)**

विवरण		31.03.2021 को	31.03.2020 को
प्रारम्भिक शेष		27,411,491	32,646,797
(+) अवधि के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान	(नोट 32 देखें)	36,594,493	507,600
(-)पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों से से जुडी मूल्य ह्रास	(नोट 10 देखें)	6,031,700	4,613,235
(-)अनुमति नहीं दिये गये अनुदान की वापसी	(नोट 32 देखें)	–	1,143,190
(+)उपरोक्त अस्वीकृत अनुदान पर लगाये गये मूल्य ह्रास का प्रभाव	(नोट 32 देखें)	–	13,519
अंतिम शेष		**57,974,284**	**27,411,491**

गैर चालू दायित्व

नोट संख्या 4 : अन्य दीर्घकालीन दायित्व **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
सहायक एवं अन्य से जमा प्रतिभूति	12,132,869	5,160,154
योग	**12,132,869**	**5,160,154**

नोट संख्या 5 : दीर्घकालीन प्रावधान **(राशि रूपयों में)**

विवरण	2020.21	2019.20	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान				
(i) ग्रेच्युटी	655,088	473,737		
घटायेंः अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण (नोट संख्या 9 देखें)	12,045	8,710	643,043	465,027
(ii) लीव इनकेशमेंट	866,064	646,919		
घटायें : अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण (नोट संख्या 9 देखें)	33,846	25,795	832,218	621,124
		योग	**1,475,261**	**1,086,151**

***लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन** **(राशि रूपयों में)**

विवरण	2020-21		2019-20	
	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट
प्रारम्भिक शेष	473,737	646,919	215,117	312,475
जोडियें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	305,461	492,424	304,904	412,512
योग	**779,198**	**1,139,343**	**520,021**	**724,987**
घटायेंः वर्ष के दौरान किये गये भुगतान	124,110	273,279	46,284	78,068
अंतिम शेष	**655,088**	**866,064**	**473,737**	**646,919**

चालू दायित्व

नोट संख्या 6 : अल्पकालीन ऋण

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बैंक से असुरक्षित ऋण		
- एक्सिस बैंक लिमिटेड की बिक्री बिल बट्टाकरण सुविधा * [अधिकतम प्रयोग 90 दिन और ब्याज 4.70% (प्रति वर्ष 8.25%)]	227,533,971	107,484,555
योग	**227,533,971**	**107,484,555**

*उपरोक्त असुरक्षित ऋण की सुविधा बिना शर्त कम्पनी के थोक दुग्ध क्रेताओं द्वारा माल के व्यावसायिक बिक्रय बिलों बिल ऑफ एक्सचेंज की स्वीकृति से समर्थित एवं सुरक्षित है। (नोट संख्या 14 भी देखें "व्यावसयिक प्राप्य")

नोट संख्या 7 : व्यावसायिक देयतायें

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
माल व सेवाओं की व्यावसायिक देयतायें		
सूक्ष्म व लघु उपक्रमों का कुल बकाया *		–
सूक्ष्म व लघु उपक्रमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	39,592,484	28,834,722
योग	**39,592,484**	**28,834,722**

*प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act.) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (MSMED Act.) में पंजीकृत नही है इसलिए कम्पनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नही है।

नोट संख्या 8 : अन्य चालू दायित्व

(राशि रूपयों में)

विवरण		31.03.2021 को	31.03.2020 को
देय खर्चे		12,209,279	5,226,426
अदत्त/अन्य दायित्व		3,742,549	1,616,033
सदस्यों द्वारा अंशों के समर्पण के बदले देय *		350,400	67,600
देय वैधानिक दायित्व		542,795	449,382
प्रधानमंत्री केयर में देय अनुदान		–	241,820
पूंजीगत सामान के लिए देय		–	97,524
कर्मचारियों को देय		249,420	181,133
सदस्यों से अग्रिम		–	14,000
जारी किये गये चैकों के प्रति दायित्व		–	10,000
अदत्त/दावा नहीं किये गये लाभांश		12,759	10,112
प्राप्त अनुदान (उपयोग को घटाकर)	(नोट 32 देखें)	22,595	400,723
अन्य देयताऐं		334	–
योग		**17,130,130**	**8,314,754**

*कम्पनी के निदेशक मण्डल ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZD के अनुसार कुछ विशेष अंशधारकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनं समता अंशों को समर्पित करें क्योंकि वे कम्पनी अंतर्नियमों में उल्लेखित कम्पनी के सदस्यों के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार 504 अंश (गत वर्ष 676 अंश) कम्पनी को इनके अंकित मूल्य रूपये 100 प्रति अंश पर समर्पित किये गये हैं और इन अंशों को दूसरे योग्य सदस्यों को उसी मूल्य पर पुनः जारी किया गया है।

नोट संख्या 9 : अल्पकालीन प्रावधान

(राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2021 को	31.03.2020 को
कर्ममचारी लाभों के लिए प्रावघान (नोट 5 देखें)				
ग्रेच्युटी			12,045	8,710
लीव इनकेशमेंट			33,846	25,795
	2020-21	**2019-20**		
कर के लिए प्रावधान*	1,486,805	3,461,000		
घटायेः अग्रिम कर एवं कोन्ट्रा के अनुसार टीडीएस	1,486,805	354,535	.	3,106,465
योग			**45,891**	**3,140,970**

***लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन** **(राशि रूपयों में)**

विवरण	आयकर के लिए प्रावधान	
	2020–21	**2019–20**
प्रारम्भिक शेष	3,461,000	941,000
जोडेंः वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1,568,770	3,463,789
घटायेंः वर्ष के दौरान अपलिखित किये गये प्रावधान	–	–
योग	**5,029,770**	**4,404,789**
घटायेंः वर्ष के दौरान किये गये भुगतान	3,542,965	943,789
अंतिम शेष	**1,486,805**	**3,461,000**

नोट संख्या 9 (i) : कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80पीए के अंतर्गत कटौती के लाभ की लगभग 83,37,517 रूपये (गत वर्ष रूपये 1,95,39,500/–) की राशि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कम्पनी द्वारा प्राप्त विशेषज्ञ राय के आधार पर कम्पनी ने इसके द्वारा संचालित गतिविधियों को धारा 80पीए के तहत कटौती के उद्देश्य से "पात्र व्यवसाय" माना है।

नोट संख्या 9 (ii) : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115JAA के अनुसार मेट क्रेडिट पात्रता, परन्तु पुस्तकों में चिन्हित नहीं किया गयाः

वित्तीय वर्ष	**31.03.2021 को**	**समापन तिथि**
2020–21	950,212	31.03.36
2019–20	2,969,641	31.03.35
2018–19	696,634	31.03.34

Asha

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

नोट संख्या 10: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) (राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2020 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	01.04.2020 को शेष	वर्ष के लिए	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	31.03.2021 को शेष	31.03.2020 को शेष
I) मूर्त संपत्तियां										
प्लांट एवं मशीनरी	33,737,030	34,717,559		68,454,589	9,412,290	5,559,255	—	14,971,546	53,483,044	24,324,740
फर्नीचर एवं फिटिंग	1,654,890	1,797,097		3,451,987	222,536	114,474	—	337,010	3,114,976	1,432,354
कार्यालय उपकरण	684,724	268,128		952,852	135,596	71,533	—	207,130	745,722	549,127
कम्प्यूटर्स	1,841,957	887,284		2,729,241	1,313,645	447,804	—	1,761,449	967,791	528,311
कुल मूर्त संपत्तियां (I)	**37,918,600**	**37,670,068**	**—**	**75,588,668**	**11,084,069**	**6,193,066**	**—**	**17,277,135**	**58,311,533**	**26,834,532**
II) अमूर्त संपत्तियां :										
सॉफ्टवेयर	81,051	864,507		945,558	53,504	178,762	.	232,266	713,292	27,547
कुल अमूर्त संपत्तियां (II)	**81,051**	**864,507**	**—**	**945,558**	**53,504**	**178,762**	**—**	**232,266**	**713,292**	**27,547**
III) प्रगतिशील पूंजीः										
स्वचालित दुग्ध संकलन इकाई	275,000	—	—	275,000	—	—	—	—	275,000	275,000
जीपीआरएस सहित				—	—	—	—	—	—	
डीपीएमसीयू	783,000	—	783,000							783,000
एमसीसी हेतु आरएमआरडी	267,860	—	267,860	—	—	—	—	—	—	267,860
ईटीपी इकाई	487,620	—	487,620	—	—	—	—	—	—	487,620
प्रगतिशील कार्य में कुल पूंजी (III)	**1,813,480**	**—**	**1,538,480**	**275,000**	**—**	**—**	**—**	**.**	**275,000**	**1,813,480**
IV) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति :										
ट्रेडमार्क	—	131,075	—	131,075	—	—	—	—	131,075	—
विकास के तहत कुल अमूर्त संपत्ति (IV)	—	**131,075**	—	**131,075**	—	—	—	—	**131,075**	—
योग (I+II+III+IV)	**39,813,131**	**8,665,649**	**1,538,480**	**76,940,301**	**11,137,572**	**6,371,828**	**—**	**17,509,401**	**59,430,900**	**28,675,559**
गत वर्ष	**39,004,926**	**808,205**	**—**	**39,813,131**	**6,358,129**	**4,779,443**	**—**	**11,137,572**	**28,675,559**	**32,646,797**

नोट (i) : मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

विवरण		**2020–21**	**2019–2020**
मूर्त संपत्तियां		6,193,066	4,768,010
अमूर्त संपत्तियां		178,762	11,433
कुल मूल्य ह्रास		**6,371,828**	**4,779,443**
जोडें: अनुमति नही दिये गये अनुदान पर लगने वाले मूल्य ह्रास का समायोजन	(नोट 3 देखें)		13,519
घटायें: अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों से जुडा मूल्य ह्रास	(नोट 3 देखें)	6,031,700	4,613,235
लाभ–हानि खाते में वसूल किया गया मूल्य ह्रास		**340,128**	**179,727**

नोट (ii) : पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट संख्या 32 देखें)

(राशि रूपयों में)

विवरण	**सकल ब्लॉक**				**संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन**				**शुद्ध ब्लॉक**	
	01.04.2020 को शेष	**वृद्धि**	**(कटौती) / समायोजन**	**31.03.2021 को शेष**	**01.04. 2020 को शेष**	**वर्ष के लिए**	**(कटौती) / समायोजन**	**31.03.2021 को शेष**	**31.03.2021 को शेष**	**31.03.2020 को शेष**
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	33,108,410	34,219,339	–	67,327,749	9,255,631	5,332,579	–	14,588,209	52,739,540	23,852,779
फर्नीचर एवं फिटिंग	1,556,301	1,797,097	–	3,353,398	219,825	108,230	–	328,055	3,025,343	1,336,476
कार्यालय उपकरण	494,056	259,128	–	753,184	117,429	52,752	–	170,181	583,003	376,627
कम्प्यूटर्स	1,825,359	869,789	–	2,695,148	1,313,415	439,963	–	1,753,378	941,769	511,944
अमूर्त संपत्तियां										
सॉफ्टवेयर	59,351	500,000	–	559,351	51,546	98,176	–	149,722	409,629	7,805
प्रगतिशील कार्य में पूंजी										
मूर्त संपत्तियां	1,325,860	–	1,050,860	275,000	–	–	–	–	275,000	1,325,860
योग	**38,369,336**	**37,645,353**	**1,050,860**	**74,963,829**	**10,957,845**	**6,031,700**	**–**	**16,989,545**	**57,974,284**	**27,411,491**

*** अनुमति नही दिये गये अनुदान का समयोजन सम्मिलित है (नोट संख्या 32 देखें)**

नोट (iii): कम्पनी के स्वयं के कोष से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है: (राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2020 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	01.04.2020 को शेष	वर्ष के लिए	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	31.03.2021 को शेष	31.03.2020 को शेष
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	628,620	498,220	–	1,126,840	156,660	226,677	–	383,337	743,504	471,960
फर्नीचर एवं फिटिंग	98,589	–	–	98,589	2,711	6,244	–	8,955	89,634	95,878
कार्यालय उपकरण	190,668	9,000	–	199,668	18,168	18,781	–	36,949	162,719	172,500
कम्प्यूटर्स	16,598	17,495	–	34,093	230	7,841	–	8,071	26,022	16,368
अमूर्त संपत्तियां										
सॉफ्टवेयर	21,700		–	21,700	1,958	6,872	–	8,830	12,870	19,742
वेबसाइट		23,600	–	23,600		1,548	–	1,548	22,052	–
सदस्य आवेदन		340,907	–	340,907		72,166	–	72,166	268,740	–
प्रगतिशील कार्य में पूंजी										
अमूर्त संपत्तियां	487,620		487,620	–	–	–	–	–	–	487,620
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति										
ट्रेडमार्क		131,075	–	131,075	–	–	–	–	131,075	–
योग	**1,443,795**	**1,020,297**	**487,620**	**1,976,472**	**179,727**	**340,128**	**–**	**519,856**	**1,456,616**	**1,264,068**

*अनुमति नहीं दिये गये अनुदान का समायोजन (नोट संख्या 32 देखें)

नोट संख्या 11 : आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)

आस्थगित कर शेष के मुख्य तत्वः **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I) आस्थगित कर दायित्व (डीटीएल)		.
कुल डीटीएल (I)	–	–
II) आस्थगित कर संपत्तियां (डीटीए)		
लेखांकन एवं कर मूल्य ह्रास में अंतर	38,210	26,701
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	182,245	131,794
लीव इनकेशमेंट हेतु प्रावधान	240,939	179,973
बोनस हेतु प्रावधान	134,350	
अस्वीकृत प्रारम्भिक व्यय	–	9,389
कुल डीटीए (II)	**595,744**	**347,856**
अंतिम आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)	595,744	347,856
घटायें: प्रारम्भि आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)	347,856	(154,722)
लाभ हानि विवरण में वसूल/(जमा) किये गये शुद्ध आस्थगित कर व्यय	**(247,888)**	**(193,133)**

नोट संख्या 12 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
असुरक्षित एवं उचित माने गये		
पूंजीगत सम्पत्तियों के एवज में अग्रिम	1,900,773	.
जमा प्रतिभूति	59,799	49,799
योग	**1,960,572**	**49,799**

नोट संख्या 13: स्टॉक **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
मार्ग में स्टॉक:		
–दुग्ध	3,959,023	5,378,162
व्यापार में स्टॉक:		
–दुग्ध	4,103,586	–
–पशु–आहार एवं अन्य	1,740,217	309,917
–पेपर रोल एवं कार्ट्रेज	28,474	60,482
योग	**9,831,301**	**5,748,561**

नोट संख्या 14: व्यावसायिक प्राप्य **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
असुरक्षित और उचित माने गये *		
बिल का भुगतान देय होने की तिथी से 6 माह से अधिक समय से बकाया ऋण	–	17,000
अन्य ऋण	276,117,707	139,881,120
योग	**276,117,707**	**139,898,120**

*** व्यावसायिक प्राप्यों से जुड़ी बिल डिसकाउंटिग सुविधा हेतु नोट संख्या 6 देखें**

नोट संख्या 15: रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(अ) हस्तगत रोकड़	–	–
(ब) बैंकों में जमा		
चालू खातों में	18,848,563	23,986,479
बचत खातों में	6,115,587	144,771
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम)	–	1,000,000
(स) अन्य बैंक शेष		
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक)*	33,827,360	18,927,550
योग	**58,791,511**	**44,058,800**

*** अन्य बैंक शेषों में स्थायी जमा राशि रूपये शून्य – (पिछला वर्ष–शून्य) शामिल है। अन्य बैंक शेष में वो जमायें शामिल हैं जिनकी परिपक्वता अवधि चिठ्ठे की तिथी से 12 माह है।**

नोट संख्या 16: अल्पकानील ऋण एवं अग्रिम (राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2021 को	31.03.2020 को
असुरक्षित उचित माने गये	**2020–21**	**2019–20**		
अग्रिम कर	3,025,000	250,000		
स्रोत पर कर की कटौती	130,209	104,535		
घटायें: कोंट्रा के अनुसार कर का प्रावधान	1,486,805	354,535	1,668,404	–
योग			**1,668,404**	**–**

नोट संख्या 17: अन्य चालू संपत्तियां (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं	829,133	260,046
पूर्व प्रदत्त व्यय	319,461	166,812
खर्चों के पेटे अन्य प्राप्य/अग्रिम	33,028	95,673
धानी से प्राप्य अनुदान (उपयोग के बाद शेष)	368,431	–
योग	**1,550,053**	**522,531**

नोट संख्या 18: व्यवसाय से आय (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री		
- दुग्ध	841,166,212	705,145,849
- पशु–आहार एवं खनिज मिश्रण	31,166,430	26,302,303
- अन्य सामान	1,974,897	874,856
योग	**874,307,539**	**732,323,009**

नोट संख्या 19 : अन्य आय (राशि रूपयों में)

विवरण			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**		
बैंक जमाओं पर ब्याज की आय	1,526,150	1,075,898		
घटायें: अनुदान कोष पर अर्जित ब्याज नोट संख्या 30* को हस्तांतरित	41,364	104,396	1,484,786	971,502
अन्य गैर–व्यावसायिक आय				
सदस्यों से प्रवेश शुल्क			484,415	189,317
भूसा कटर पर किराये से आय			5,085	–
रद्दी और अपशिष्ट की बिक्री से आय			8,100	–
विविध आय			7,713	–
विविध पुनः लिखे गये शेष			.	85,214
योग			**1,990,099**	**1,246,033**

Asha

* अनुदान अनुमोदन पत्र की शर्तों के अनुसार

नोट संख्या 20 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
खरीदः		
–दुग्ध	714,836,593	608,033,910
–पशु आहार एवं खनिज मिश्रण	29,229,236	24,181,947
–अन्य सामग्री	2,011,457	877,893
अन्य संबंधित व्यय		
दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति प्रोत्साहन राशि	1,920,759	2,744,280
योग	**747,998,045**	**635,838,030**

नोट संख्या 21 : व्यावसायिक व्यय (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
उपभोग्य	1,486,917	661,496
भरने एवं खाली करने के खर्चे	243,811	223,572
माल आवक खर्चे	20,380,959	12,568,605
सहायक प्रोत्साहन राशि	13,985,839	13,491,373
बीएमसी बिजली व्यय	611,737	304,889
मजदूरी खर्चे	596,762	650,865
किराया		
- बीएमसी	252,000	348,500
- पशु–आहार गोदाम	248,033	102,427
डीजल खर्चे	1,222,832	1,020,933
मैसेजिंग खर्चे	2,067,900	2,113,494
दुग्ध शीतलन खर्चे	276,527	351,928
जांच खर्चे	6,752,658	5,013,465
उपभोग्य	75,284	48,899
घटाएँः उपभोग्य सामग्रियों के लिए प्राप्त अनुदान	(690,213)	.
योग	**47,511,045**	**36,900,447**

नोट संख्या 22 : व्यवसाय में माल के स्टॉक में परिवर्तन (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यवसाय में माल के स्टॉक में कमी/(वृद्धि)		
प्रारम्भिक स्टॉक	5,748,561	2,246,502
घटायेंः अंतिम स्टॉक	9,831,301	5,748,561
स्टॉक में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	**(4,082,740)**	**(3,502,059)**

नोट संख्या 23 : कर्मचारी लाभ व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(अ) वेतन एवं प्रोत्साहन राशि		14,621,079	11,354,606
(ब) भविष्य निधि में योगदान		1,127,429	904,282
(स) कर्मचारी राज्य बीमा निगम में योगदान		202,218	179,817
(द) कर्मचारी कल्याण व्यय		60,499	109,842
(य) कर्मचारियों को बोनस		482,926	398,509
(र) लीव इनकेशमेंट के लिए प्रावधान		492,424	412,512
(ल) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		305,461	304,904
		17,292,036	**13,664,472**
घटायेंः प्राप्त अनुदान	(नोट संख्या 32 देखें)	3,599,805	2,809,375
योग		**13,692,231**	**10,855,097**

नोट संख्या 24 : वित्त लागते **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक शुल्क	15,314	8,236
बिल बट्टाकरण पर ब्याज	9,510,303	580,536
ब्याज शुल्क		
आयकर पर (टीडीएस)	120	8,466
अन्य पर	14,970	8,009
योग	**9,540,707**	**605,247**

नोट संख्या 25 : अन्य व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षकों को भुगतान		
-वैधानिक अंकेक्षक	165,000	82,500
-अंकेक्षण शुल्क पर जीएसटी/सेवाकर	29,700	14,850
-कर निर्धारण मामाले हेतु	21,417	19,470
-अन्य सेवायें	27,140	17,700
-खर्चो का भुगतान	–	13,038
निदेशकों को भुगतान		
- बैठक शुल्क	14,750	19,470
- परिवहन व्यय	–	6,087
फूड लाईसेंस का शुल्क	10,461	5,008
अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि का आरओसी शुल्क	375,000	–
कानूनी एवं वैधानिक शुल्क	829,042	573,153
किराया	297,300	283,150
पोस्टेज एवं कोरियर व्यय	6,698	4,397
गाडी–भाडा	45,332,229	27,065,788
बीमा शुल्क	381,996	205,726
इंटरनेट व्यय	233,943	160,416
टेलीफोन व्यय	225,982	166,943
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	618,530	483,106
कम्प्यूटर एवं अन्य का मरम्मत व्यय	182,964	147,990
भवन मरम्मत	–	6,050
मुख्यालय बिजली व्यय	81,869	120,288
यात्रा, कन्वेंस एवं अन्य अतिथि व्यय	1,506,522	1,865,650
नियुक्ति व्यय	176,751	25,743
ऑफिस व्यय	271,226	260,016
बैठक व्यय	145,942	256,456
क्लाउड शुल्क	147,905	132,169
प्रशिक्षण व्यय	280,531	400,727
जीएसटी व्यय	57,831	50,801
सदस्यता पंजीयन शुल्क	28,695	66,545
उत्पादकता सुधार सेवा व्यय (अनुदान से अस्वीकृति की सीमा तक)	306,373	132,366
अन्य विविध व्यय	11,624	254
योग	**51,767,423**	**32,585,859**

नोट संख्या 26 : पूर्व की अवधि की मदें

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पूर्व की अवधि के व्यय		
कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 का बोनस	–	421,781
घटायें: प्राप्त अनुदान (नोट संख्या 32 देखें)	–	42,692
योग	–	**(379,089)**

नोट संख्या 27 : प्रति अंश आय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	इकाई	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
समता अंश धारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ (अ)	रू.	8,209,918	16,456,949
भारित औसत समता अंशों की संख्या (ब)	सं.	177,187	103,335
प्रति अंश मूल आय	रू.	46.33	159.26
प्रति अंश न्यूनतम मूल्य	रू.	100	100
प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयुक्त समता अंश	सं.	178,384	109,998
प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रू.	46.02	149.61

28. 31.03.2021 को कोई भी आकस्मिक दायित्व नही था।

29. कर्मचारी लाभ योजना (लेखा मानक–15)

अ) परिभाषित अंशदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और फेमेली पेंशन निधि के रूप में परिभाषित अंशदान योजना प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि और फेमेली पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को क्षैत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) में जमा कराया जाता है। कम्पनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी भविष्य निधि और फेमेली पेंशन निधि में पूर्व निर्धारित अंशदान का भुगतान करते हैं। अंशदान सामान्यतया कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित हैं। कम्पनी ने लाभ–हानि विवरण में इस वर्ष 11,27,429 रूपये (गत वर्ष 9,04,982 रू.) की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि और फेमेली पेंशन निधि अंशदान के रूप में दर्शाया है।

ब) परिभाषित लाभ योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजना के लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी क्षतिपूर्ति (सेवानिवृति से तुरन्त पहले) पर निर्भर करते हैं। ऐसी योजना में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसकी प्रतिबद्धताओं का निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। परिवर्तित वास्तविक अनुमानों के प्राप्तियों और क्षतियों को लाभ–हानि विवरण दिखाया जाता है।

निम्न तालिका परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशि को दिखाती है।

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी
I. अनुमान				
मृत्यु दर	IALM 2012-14 Ult.	IALM 2012-14 Ult.	IALM 2006-08 Ult.	IALM 2006-08 Ult.
बट्टा दर	6.80% p.a	6.80% p.a	6.80% p.a	6.80% p.a
क्षतिपूर्ति में वृद्धि की दर	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.
नियोजन संपत्तियों की निकासी दर पर आय की दर (अपेक्षित)	–	–	–	–
अपेक्षित औसत शेष सेवा (वर्ष)	29.02	29.02	28.49	28.49
II. दायित्वों के वर्तमान मूल्यों में कमी (पीवीओ)				
शुरूआती अवधि में पीवीओ	646,919	473,737	312,475	215,117
ब्याज की लागत	43,990	263,895	21,248	14,628
वर्तमान सेवा दर	203,304	32,214	163,086	228,064
चुकाये गये लाभ	(273,279)	(124,110)	(78,068)	(46,284)
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	245,130	9,352	228,178	62,212
अवधि के समापन पर पीवीओ	**866,064**	**655,088**	**646,919**	**473,737**
III. चिट्ठे में चिन्हित की जाने वाली राशियां				
अवधि के समापन पर पीवीओ	866,064	655,088	646,919	473,737
अवधि के समापन पर प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
वित्त–पोषण की स्थिति				
गैर–चिन्हित वास्तविक लाभ/(हानि)	–	–	–	–
चिट्ठे में चिन्हित शुद्ध दायित्व/(संपत्तियां)	**866,064**	**655,088**	**646,919**	**473,737**
IV. लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय				
वर्तमान सेवा लागत	203,304	32,214	163,086	228,064
ब्याज की लागत	43,990	263,895	21,248	14,628
प्लान संपत्तियों पर अपेक्षित आय	–	–	–	–
अवधि के लिए चिन्हित शुद्ध वास्तविक लाभ/हानि	245,130	9,352	228,178	62,212
लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय	**492,424**	**305,461**	**412,512**	**304,904**
V. चिट्ठे में चिन्हित दायित्वों में परिवर्तन				
शुद्ध प्रारम्भिक दायित्व	646,919	473,737	312,475	215,117
उपरोक्तानुसार व्यय	492,424	305,461	412,512	304,904
चुकाये गये लाभ	(273,279)	(124,110)	(78,068)	(46,284)
शुद्ध अंतिम दायित्व	**866,064**	**655,088**	**646,919**	**473,737**

30. लेखा मानक 18– संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरणः

कम्पनी ने उन सभी संबंधित पक्षकारों को चिन्हित कर लिया है जिनके साथ उक्त अवधि के दौरान लेन–देन हुए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

अ. संबंधः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निदेशक) :

–बलजिंदर सिंह	विशेषज्ञ निदेशक
–बृजेश नारायण सिंह	निदेशक
–धर्मेन्द्र कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
–कन्या	निदेशक
–पुष्पा कंवर	निदेशक
–रचना देवधर गोयल	विशेषज्ञ निदेशक (नियुक्ति 24.09.2020 से)
–रेखा कंवर	निदेशक
–रेखा	निदेशक
–सागर कंवर	निदेशक
–सीता कंवर	निदेशक
–सुखी	निदेशक
–यज्ञ देव शर्मा	कम्पनी सचिव

ब. उपरोक्त पक्षकारों के साथ लेनदेनों की प्रकृतिः

लेनदेनों की प्रकृति	2020–21	2019–20
प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	1,710,808	1,471,835
बैठक शुल्क	14,750	19,470
यात्रा व्ययों का भुगतान	–	6,087
चुकाया गया लाभांश	1,372	1,040
खरीदः (चालू वर्ष 13652.7 लीटर एवं गत वर्ष 18123.90 लीटर)	546,108	723,345

31. लीज व्यवस्था (लेखा मानक–19)

कम्पनी ने कार्यालय भवन के लिए लीज की व्यवस्था की है। कम्पनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लीज किराया व्यय को मान्यता दी है –

स्थान	लीज किराया	
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
प्रधान कार्यालय	251,300	283,150
दांतीवाडा बीएमसी युनिट	252,000	222,000
पशु–आहार गोदाम	108,000	102,427
रेवदर स्टोर	26,833	–
सलुम्बर स्टोर गोदाम	83,200	–
शिवगंज गोदाम	30,000	–
योग	**751,333**	**607,577**

कॉर्पोरेट कार्यालय और थोक दूध संग्रह इकाई परिसर के लिए पट्टा तीन साल की अवधि के लिए है और तीन महीने की पूर्व लिखित सूचना देकर किसी भी पक्ष के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है। समझौते में प्रधान कार्यालय के मामले में 10% के साथ वार्षिक पट्टा भुगतान में वृद्धि और दंतीवाड़ा इकाई के मामले में 3 साल के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 10% की वृद्धि का प्रावधान है।

भावी न्यूनतम लीज किराये का भुगतानः **(राशि रूपयों में)**

विवरण	2020–21	2019–20
एक वर्ष के बाद देय नहीं	729,262	431,300
एक वर्ष के बाद देय परन्तु तीन वर्ष के बाद देय नहीं	370,640	380,380
तीन वर्ष के बाद देय	–	–

32. डेयरी हेल्थ एण्ड न्यूट्रीशन इनिसियेटिव इंडिया फाउण्डेशन (धानी) से प्राप्त/प्राप्य अनुदान के उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है –

विवरण	2020–21		2019–20	
	विवरण	राशि रूपयों में	विवरण	राशि रूपयों में
प्रारम्भिक शेष		400,722		75,750
जोडें: अवधि के दौरान प्राप्त	43,065,000		12,924,500	
जोडें: टीडीएस के बाद अनुदान कोष पर प्राप्त ब्याज (नोट सं. 19 देखें)	30,430	43,095,430	104,396	13,028,896
घटायें: वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि		–		7,202,044
घटायें: अवधि के दौरान उपयोग				
(i) आस्थगित अनुदान में ले जाई गई पूंजीगत संपत्तियों के लिए (नोट सं. 3 देखें)*				
–अवधि के दौरान पूंजीगत की गई स्थायी संपत्तियां	36,594,493		507,600	
घटायें: बेची गई संपत्तियां	–		–	
घटायें–प्रारम्भिक सीडब्लूआईपी से पूंजीगत की गई संपत्तियां	–	36,594,493	–	507,600
स्थापित की जा रही संपत्तियां		–		–
(ii)आयगत व्ययों के लिए (आयगत अनुदान)**				
- प्रजनन और न्यूट्रीशन सेवाओं संबंधित पीईएस व्ययों के लिए#	5,621,851		4,298,905	
- अन्य आयगत व्ययों के लिए$	1,257,213	6,879,064	1,838,565	6,137,470
- अनुदान की अनुमति नहीं होने का समायोजन ##		–		1,143,190
बचे हुए अनुदान को नोट सं. 8 में ले जाया गया (प्राप्य अनुदान को नोट सं. 17 में ले जाया गया)		**22,595**		**400,722**

** अुनदान अनुमोदन पत्र के अनुसार अनुदान की राशि में से व्यय/घाटे की सीमा तक निकाली गई राशि।

उन संपत्ति, संयत्र एवं उपकरणों (पीपीई) को दर्शाता है जो गत वित्तीय वर्ष (2018–19) में अनुदान की राशि से खरीदे गये है, चूंकि इसके लिए धानी की अनुमति नही है। वर्ष के दौरान पीपीई में किये गये समायोजन तथा नोट सं. 10 में उल्लेखित मूल्य ह्रास जोकि राशि रूपये 13,519/– है, को पिछले वर्षो में आस्थगित अनुदान से वसूल किया गया है को बदलकर इस वर्ष लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। इसके अलावा पिछले वर्षों में लायी गई 11,43,190/– रूपये की आस्थगित अनुदान की राशि को बदलकर बची हुई (खर्च नही हुई) अनुदान की राशि को वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढा दिया गया है।

*कुल राशि में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

विवरण		2020–21	2019–20
वेतन खर्च	(नोट सं. 23 देखें)	3,599,805	2,837,414
पीईएस से जुडे व्यय		2,022,046	1,461,491
योग		**5,621,851**	**4,298,905**

*कुल राशि में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

विवरण	2020–21	2019–20
आवक परिवहन व्यय	–	1,759,382
मानव श्रम वेतन एवं यात्रा व्यय	–	14,653
प्रशिक्षण	–	43,080
शासकीय व्यय	–	21,450
सहायक को वेतन	567,000	–
उपभोग्य वस्तुएं	690,213	–
योग	**1,257,213**	**1,838,565**

नोटः पूंजीगत संपत्तियों की खरीद में प्रयोग की गई अनुदान की राशि को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है। आयगत अनुदान की राशि को लेखांकन नीति संख्या बी(8) के अनुसार संबंधित खर्चों से समायोजित किया गया है।

33. कम्पनी दुग्ध और पशु–आहार के व्यवसाय में संलग्न है जिसे एकल व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है। कम्पनी भारत के एक भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है। लेखा मानक एएस–17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण लागू नही है क्योंकि कम्पनी केवल एक ही व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है।

34. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के अनुसार सभी संपत्तियों और दायित्वों को चालू और गैर–चालू के रूप में दर्शाया गया है। कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ, इसकी गतिविधियां और कार्यान्वयन के आधार पर कम्पनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 माह से कम माना है। इसी अनुसार संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण चालू/गैर चालू के रूप में करने के लिए 12 माह की अवधि मानी गई है।

35. कम्पनी के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से नियमित अंतराल पर शेष/बकाया की पुष्टि करने के लिए एक निर्धारित प्रणाली है। बैंक खातों और बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के संदर्भ में वर्तमान में कोई भी अपुष्ट शेष/बकाया नही है। जहां तक व्यावसायिक/अन्य प्राप्यों, व्यावसायिक/अन्य देयताओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों का प्रश्न है उसके लिए पक्षकारों को अंकेक्षण के मानक (एसस) 505 (संशोधित) 'बाह्य पक्षकारों से पुष्टि' हेतु नकारात्मक कथन के साथ भेजे गये है। ऐसें से कुछ शेष पुष्टि/मिलान करने पर निर्भर हैं जिसकों प्रबन्धकों की राय में कोई महत्वूपर्ण प्रभाव नही होगा।

36. कंपनी ने कोविड–19 महामारी से उत्पन्न होने वाली ज्ञात घटनाओं के संभावित प्रभावों और वित्तीय विवरणों की तैयारी में सरकारों द्वारा परिणामी लॉकडाउन और प्रतिबंधों पर विचार किया है, जिसमें कंपनी की तरलता और चिंता के आकलन तक सीमित नहीं है, इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्तियों, सूची और अन्य परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य शामिल हैं। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुसार अनुमान से अलग हो सकता है। जारी अनिश्चितताओं को देखते हुए, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन और उसकी वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव की बारीकी से निगरानी जारी रखेगी।

37. अनुसूची–III में चाहे गये अन्य सभी प्रकटीकरण या तो शून्य हैं या लागू नही होते हैं।

38. गत अवधि की संख्याओं को आवश्यकतानुसार चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के संदर्भ में देखने के लिए पुनःसमुहित/वर्गीकृत किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी

(कन्या)
अध्यक्ष
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(रेखा)
निदेशक
DIN: 07462877

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(यज्ञ देव शर्मा)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मयंक कोठारी)
प्रबंधक एफ एंड ए
पैन : CIMPK9030J

स्थान – उदयपुर
दिनांक – 26 अगस्त, 2021

स्थान – जयपुर
दिनांक –01 सितंबर, 2021

Asha

Marudhara

Our Products

House No. 14, Verma Colony, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313002
Mobile +91 95872 21133 | Email : info@ashamilk.com | www.ashamilk.com
CIN -U01122RJ2016PTC049656

House No. 14, Verma Colony, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313002
Mobile +91 95872 21133 | Email : info@ashamilk.com | www.ashamilk.com
CIN -U01122RJ2016PTC049656